राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कन्हैयालाल बनाम नाना देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उप धारा-1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थीगण को उनकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 128 में सिचाई, जोते में पहुंच के प्रयोजन के लिये खसरा नम्बर 127/2 ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ़ सांगा का बास में बी से सी मार्क की जोत में नया मार्ग खोलने हेतु दो गट्टा भूमि चाहने का अनुतोस चाहा गया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उप धारा-1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गयी | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील शुदा नोटिस एवं तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान डूंगरी कला में नियत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/12/2021 पारित करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी के पास अपनी खाते की आराजी तक कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है एवं अपीलार्थी/प्रार्थी यदि वर्तमान में अपनी आराजी में आने-जाने हेतु कीड़ी भी खेत अथवा रास्ते का उपयोग का रहे है तो इस आधार पर उन्हें कानूनन रिकार्डेड रास्ता प्राप्त करने से महरूम नही किया जा सकता | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्येक कृषक को अपनी खाते की आराजी में उन्नत कृषि हेतु कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु रिकार्डेड रास्ता प्रदान किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होने से निरस्त योग्य प्रतीत होता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02/12/2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	122/2022 कन्हैयालाल बनाम नाना देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसम्मत एवं विवेचनात्मक निर्णय पुनः पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	